

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2023—आषाढ़ 21, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. 12984-मप्रविस-15-विधान-2023.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) जो विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई, 2023 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है।
 (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा २३ का लोप.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २३ का लोप किया जाए।

धारा २४ का लोप.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ का लोप किया जाए।

धारा २६ का लोप.

४. मूल अधिनियम की धारा २६ का लोप किया जाए।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अधिनियम में कठिपय विद्यमान उपबंधों के गैर अपराधीकरण के लिए यथोचित संशोधन किए जाने हेतु मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की धारा २३, २४ और २६ के लोप द्वारा समुचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल:

तारीख ०९ जुलाई, २०२३

**जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.**

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

**ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।**